Result Mitra Daily Current Affairs

भारत में सरोगेसी के प्रावधान

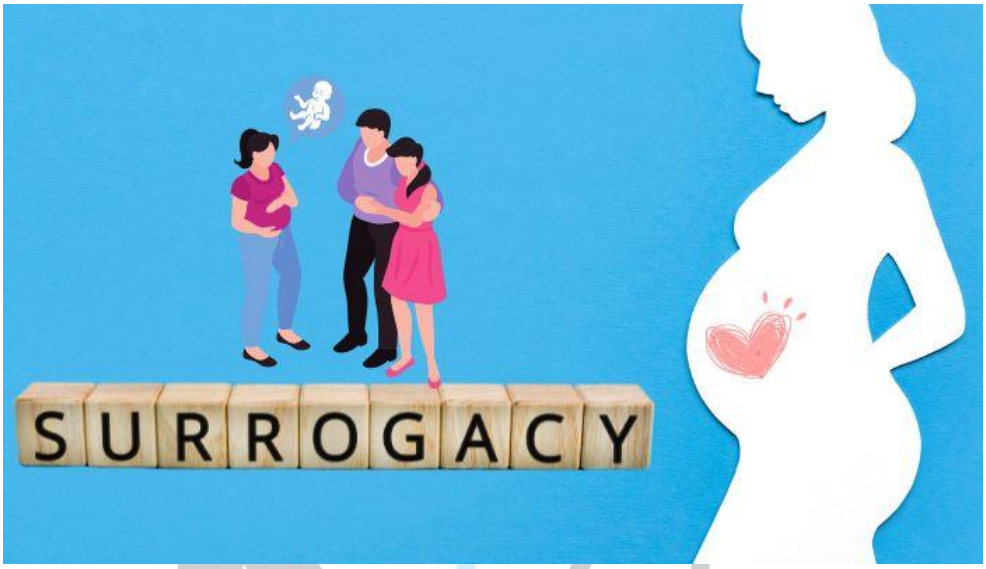

❖ हालिया संदर्भ :

- बंबई हाई कोर्ट (HC) ने हाल ही में इस बात को दोहराया कि शुक्राणु (Sperm-Male) और अंडा (Egg-Female) देने वाला अपने युग्मक (दोनों के मेल) के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का जैविक माता-पिता (Biological Mother/Father) होने का दावा नहीं कर सकता है और उन्हें इस मामले में न तो कोई दायित्व एवं न ही कोई अधिकार होगा।
- यह फैसला 42 वर्षीय महिला के मामले में सामने आया, जो परोपकारी सरोगेसी के माध्यम से जन्मी जुडवाँ बेटियों की कस्टडी की मांग कर रही थी।
- जुडवाँ बेटी अपने पिता (महिला के पति) एवं अंडा दाता (जो महिला की सगी बहन है) के पास संयुक्त कस्टडी में है।

❖ जटिल मामला :

- बच्चों की कस्टडी का मामला जटिल पारिवारिक गतिशीलता के संदर्भ में है।
- जुडवाँ बच्चों के माता-पिता (पति-पत्नी) वर्तमान में अलग रह रहे हैं।
- अंडा दाता संबंधित महिला की सगी बहन है और वह वर्तमान में दोनों बच्चों के साथ रह रही है।
- अपने अंडे दान के कुछ ही दिनों बाद उसके पति और एकलौती बेटी की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी।
- वैसे बच्चों की कस्टडी का मामला ट्रायल कोर्ट में ही देखा जाएगा लेकिन HC एक रिट की सुनवाई कर रहा था, जिसमें संबंधित कानून की स्पष्टता का निर्धारण करना था।

- HC को देखना था कि क्या अंडा द्वारा (महिला की बहन) को कानूनी रूप से माता का अधिकार मिल सकता है, लेकिन चूँकि जुडवाँ बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिये मामला पूर्णतः HC में चला गया।

❖ द्विपक्षीय दलीलें :

- महिला ने तर्क दिया कि कानूनी रूप से जुडवाँ बेटियाँ उसकी संतान है और जैविक माता-पिता के सभी अधिकार उनमें (महिला एवं पति) में निहित हैं।
- जुडवाँ बच्चों की बढती उम्र का हवाला देते हुए महिला ने कहा कि वर्तमान में दोनों बच्चे अंडा दाता (महिला की बहन) को ही अपनी माँ समझ रहे हैं, इसलिए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है।
- महिला के पति (जो अभी अंडा दाता के साथ है) ने तर्क दिया कि अंडा दाता चूँकि उसकी साली (Sister-in-law) हैं, ऐसे में उन्हें जुडवाँ बच्चों की जैविक माता कहलाने का अधिकार प्राप्त है और उसकी पत्नी का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है।
- अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों पक्षों (महिला एवं पति) ने यह स्वीकारा कि अंडा दाता महिला की छोटी बहन है, जबकि सेरोगेट मदर (माँ) एक गुमनाम महिला है, जिसने दोनों बच्चों को जन्म दिया।

❖ कानूनी प्रावधान :

- वर्तमान में भारत में सरोगेसी पर कानून सरोगेसी (विनियमन) एक्ट 2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) (विनियमन) एक्ट 2021 लागू होता है।
- लेकिन चूँकि उपरोक्त मामला 2018 में ही अनुबंधित हुए थे, अतः इस पर उपरोक्त दोनों एक्ट लागू नहीं हो सकते।
- ऐसी स्थिति में इस मामले में सहायक प्रजनन तकनीक क्लीनिक पर 2005 के राष्ट्रीय दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- दिलचस्प यह है कि सरोगेसी एक्ट 2021 एवं (ART) (विनियमन) एक्ट 2021 दोनों ने 2005 के दिशा-निर्देशों के मूल तत्वों को अपरिवर्तित रखा है, जिसमें प्रावधान था कि इच्छुक माता-पिता (जो सरोगेसी के लिये किसी महिला को चुनते हैं) को सरोगेट बच्चे (सरोगेट मदर के गर्भ से उत्पन्न बच्चा) का जैविक माता-पिता माना जाना चाहिये।

➢ ART (विनियमन) एक्ट 2021 में सरोगेसी को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

- "एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला ऐसी गर्भावस्था को पालने के लिये सहमत होती है, जो उसके और उसके पति से आनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं है और उसके पति से आनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं है, और बच्चे के जन्म के बाद वह इसे (बच्चे को) इच्छुक माता-पिता को सौंप देगी और बच्चे पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा"।

❖ HC का फैसला :

Result Mitra TM

- HC ने ICMR (Indian Council of Medical Research) के दिशा-निर्देशों की व्याख्या करते हुए कहा कि जुडवाँ बच्चे महिला (याचिकाकर्ता) एवं उनसे अलग हुए पति की बेटियाँ है, क्योंकि बच्चे उनके विवाद से उनकी सहमति से पैदा हुई हैं।
- HC ने कहा कि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता महिला एवं उनके प्रतिवादी पति ने ही सरोगेसी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे एवं वे ही उनके इच्छुक माता-पिता थे।
- HC ने कहा कि शुक्राणु/अंडाणु दाता के पास कोई अभिवाकीय दायित्व/अधिकार नहीं होगा और ऐसे में अंडादाता (महिला की बहन) के पास जुडवाँ बच्चों के माता होने का कोई अधिकार नहीं है।
- बच्चों के कस्टडी (संरक्षण) का मामला कोर्ट द्वारा ही सुलझाया जाएगा और तब तक Weekend में माँ (महिला) को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति होगी।

❖ सरोगेसी :

- यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला, जिसे सरोगेट मदर के रूप में जाना जाता है, किसी अन्य दंपत्ति या व्यक्ति के लिये अपने गर्भाशय में बच्चे को रखने एवं जन्म देने के लिये सहमत होती है।
- जन्म के बाद सरोगेट मदर बच्चे को इच्छित माता-पिता को सौंप देते हैं।

❖ विभिन्न प्रकार :

1. पारम्परिक सरोगेसी :-

- इस व्यवस्था में अंडाणु का संबंध सरोगेट मदर से ही होता है, जिसको निषेचित करने के लिये इच्छित पिता के शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है।
- सरोगेट मदर गर्भकाल को पूरा करती है और बच्चे को जन्म देती है।
- बच्चा जैविक रूप से सरोगेट मदर से संबंधित होता है क्योंकि बच्चे के जन्म में उसके अंडाणु का प्रयोग किया गया है।
- इस प्रकार की सरोगेसी उन दंपत्तियों के लिये होता है, जिसमें पत्नी (महिला पार्टनर) अंडाणु उत्पन्न करने में सझम नहीं होते हैं।

2. जेस्टेनल सरोगेसी :-

- इसमें अंडाणु एवं शुक्राणु (दाता पिता) का निषेचन कृत्रिम रूप से करवाया जाता है तथा अंडा दाता सेरोगेट मदर से भिन्न महिला होती है।
- निषेचन के बाद इसे (भ्रूण) सरोगेट मदर के गर्भाशय में गर्भावधि के लिये प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
- चूँकि अंडाणु का संबंध सरोगेट मदर से नहीं होता है, अतः बच्चा जैविका रूप से सेरोगेट मदर से संबंधित नहीं होता है।

Result Mitra

- इस प्रकार की विधि ऐसे दंपत्ति के मामले में उत्पन्न होता है, जिसमें महिला साथी अंडाणु तो उत्पन्न करती है, लेकिन शुक्राणु के साथ फैलोपीन ट्यूब (Fallopin Tube) में उनका निषेचन नहीं हो पाता है।

3. परोपकारी सरोगेसी :-

- इसके अंतर्गत सरोगेट मदर के रूप में उन्हें चुना जाता है, जो इच्छित दंपत्ति के रिश्तेदार या नजदीकी संबंध वाली महिला हो।
- इसका मुख्य उद्देश्य संतानहीन दंपत्ति को बच्चे की चाहत के स्वप्न को पूरा करना होता है।
- इसके अंतर्गत सरोगेट मदर को गर्भावस्था में चिकित्सा देखभाल-व्यय एवं बीमा कवरेज के अलावा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

4. वाणिज्यिक सरोगेसी :-

- इसके तहत सरोगेट मदर मुख्यतः धन-लाभ के उद्देश्य से ऐसा काम करती है।
- इसमें स्वास्थ्य देखभाल-व्यय, बीमा करवेज के साथ अन्य मौद्रिक लाभ भी सरोगेट मदर को दिया जाता है।

❖ संबंधित कानूनी प्रावधान :

- ART (विनियमन) एक्ट 2021 सरोगेसी केवल बांझपन, परोपकारी उद्देश्य एवं विशिष्ट बीमारी वाले दंपत्ति के लिये ही स्वीकार्य है।
- यह स्पष्ट वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है।
- व्यवसायिक सरोगेसी की स्थिति में 10 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
- ART (विनियमन) एक्ट 2021 के तहत सरोगेट मदर एवं उत्पन्न होने वाले बच्चे के शोषण पर भी प्रतिबंध है।
- पहली बार अपराध किये जाने की स्थिति में 5 लाख रूपए का जुर्माना एवं 10 वर्ष का जेल एवं दूसरी बार ऐसा करने पर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

❖ इच्छुक दंपत्ति पात्रता मानदंड :

- दंपत्ति को विवाह हुए न्यूनतम 5 वर्ष हो गए हों,
- महिला साथी (पत्नी) की आयु 25-50 वर्ष के बीच,
- पति की आयु 26-50 वर्ष के बीच,
- दंपत्ति के पास कोई भी सरोगेट, जैविक, वास्तविक, दत्तक संतान (जीवित) नहीं होनी चाहिए (दिव्यांग अथवा गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चे को छोडकर)
- 35-45 वर्ष की तलाकशुदा महिला एवं विधवा महिला भी सरोगेसी का लाभ उठा सकते है।
- एक्ट के तहत एकल पुरूष, अविवाहित महिला, लिव-इन-पार्टनर्स एवं समलिंगी दंपत्ति को सरोगेसी का लाभ उठाने से बाहर रखा गया है।

Result Mitra

❖ सरोगेट मदर की पात्रता :

- विवाहित होना चाहिए,
- स्वयं का कम-से-कम एक बच्चा होना चाहिए,
- उम्र सीमा 25-35 होनी चाहिए।
- इच्छुक दंपत्ति का निकट संबंधी होना चाहिए।

Note :- सरोगेट चाइल्ड (भ्रूण) का अगर गर्भपात करवाना हो तो संबंधित कानूनों का पालन करते हुए सरोगेट मदर एवं इच्छुक दंपत्ति की सहमति आवश्यक है।

❖ IVF :

- इसका पूरा नाम इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन In-Vitro Fertilisation है।
- इस प्रक्रिया में पुरूषों के शुक्राणुओं में से अच्छे शुक्राणुओं को अलग कर लैब में रखा जाता है तथा महिला के शरीर से अंडाणु (Ovum) निकाला जाता है।
- शुक्राणु एवं अंडाणु को लैब में निषेचित किया जाता है।
- सामान्यतः तीसरे दिन तक भ्रूण तैयार हो जाता है, जिसके बाद कैथिटर की सहायता से भ्रूण को महिला की गर्भाशय में डाल दिया जाता है।
- सामान्यतः निषेचन का कार्य फैलोपीन ट्यूब में होता है, लेकिन IVF में यह प्रक्रिया एक ट्यूब (कृत्रिम) में होती है, इसलिये इस विधि से जन्म लेने वाले बच्चे Test Tube baby कहलाते हैं।

Result Mitra